HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Review Petition No. 24/2026
URN: CRW / 33U / 2026
In
S. B. Civil Transfer Application No. 390/2025

Radhe Jatav Son Of Shri Tukiya Jatav, Aged About 42 Years, Resident Of Village Jasnavali Kalan, Post Saray Chhabila, Tehsil And District Buland Sahar (U.p.)

----Petitioner

Versus

1. Dilip Son Of Shri Dharamdas, Aged About 44 Years, Resident Of Arjunlal Sethi Nagar, Parbatpura Bypass Ajmer.
2. Smt. Sonu Meghwal Wife Of Hemraj, Aged About 40 Years, Resident Of Dadhich Basti Ward No. 9 Kishangarh, District Ajmer.
3. Banshilal Son Of Shri Ratanlal, Aged About 47 Years, Resident Of Chamar Mohalla Village Dabrela Fatehgarh District Ajmer. (Raj.).
4. Sub-Registrar, Village Ararka, Tehsil And District Ajmer.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhay Nath Deora, Adv. for Mr. Rajat Ranjan, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/07/2026

याची ने यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 390/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 के संबंध में प्रस्तुत किया है।

याची के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि राधे जाटव पुत्र श्री टुकिया जाटव के नाम से एक कूटरचित अंतरण याचिका संख्या 390/2025 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें याची व प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान

अधिवक्ता उपस्थित हुए और दोनों पक्षों की सहमति व प्रार्थना पर राजीनामे के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या–181/2022 को विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–5, अजमेर से विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय में अंतरित कर दिया।

याची ने पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2022 पुलिस थाना गेगल, जिला अजमेर में दर्ज करवाई थी। जिसमें बाद अनुसंधान यह पाया गया कि आरोपी राजकुमार सागर के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वयं को याची राधे जाटव के प्रतिरूपण के तौर पर प्रतिस्थापित कर मुख्त्यारनामा आम दिनांक 02.03.2022 को फर्जी हस्ताक्षर किये हैं तथा आरोपी राजू और सतीश ने सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति में बतौर गवाह बनकर फर्जी हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस द्वारा दिलीप, राजू, सतीश व सोनू मेघवाल के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में व अभियुक्त राजकुमार सागर के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र संख्या 108/2024 प्रस्तुत किया गया है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजकुमार सागर ने इस न्यायालय के समक्ष फर्जी व कूटरचित याचिका संख्या 390/2025 प्रस्तुत की है, ऐसी स्थिति में अंतरण याचिका संख्या 390/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याची द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने के पश्चात राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह अंतरण याचिका संख्या 390/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 की क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। आदेश की प्रति विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, अजमेर व विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रेषित की जावे।

विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 390/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 की पालना में प्रकरण संख्या 181/2022

राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह को विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय में अंतरित नहीं किया जावे। विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण को अंतरित करने या नहीं करने की स्थिति के संबंध में कार्यालय विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, अजमेर टिप्पणी प्रस्तुत करें। विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, अजमेर व विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय अग्रिम आदेश तक दीवानी वाद संख्या 181/2022 राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करे।

प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र संख्या 390/2025 राधे जाटव बनाम दिलीप वगैरह से संबंधित समस्त पत्रावली इस प्रकरण के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जावे।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

15/DINESH KUMAWAT